FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

शीशराम बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा मु0नं0 48 सन् 2025 जीसीएमएस नं. GCMS-2025/75

ीख प	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-03-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक **21.04.2025** को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 30/5/25 को पेश हों।	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/7/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/7/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 15/9/25 को पेश हों।	
12/8/2025	वकील वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकील वादी का प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। वास्ते [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना मिसल दिनांक 18/8/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:17 IS
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

09/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का नाम ''मुखला पुत्र डालु'' दर्ज हैं जबकि वादी के पिता का नाम ''मुखला पुत्र डालु'' की जगह ''मुखाराम पुत्र डालूराम'' सही होना बताया हैं उक्त की पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

तन ग्राम चक मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 20 व 207 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ''मुखला पुत्र डालु'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''मुखाराम पुत्र डालूराम'' दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार [illegible] रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा [illegible] की जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Ver
Digitally signed by Raj
Yadav
Date: 2025.10.28 12:34
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. शीशराम पुत्र स्व0 श्री मुखाराम जाति जाट निवासी ढाणी कुम्माकाला तन पुरानाबास पोस्ट कोटड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि0 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 48 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री नत्थूसिंह तंवर एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चक मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 20 व 207 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "मुखला पुत्र डालु" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "मुखाराम पुत्र डालूराम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

....बाबत..खर्चा इस मुकदमें .निज......................मुबलिग...का अदा करें। के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 09 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.........

ओहदा..........

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:34:17 IST
Reason: SelfAttested